राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और अनुभव आधारित अधिगम

चित्ररेखा*

हमारे अनुभवों का जीवन में विशेष महत्व होता है। वास्तविक, तथ्यात्मक, अर्थपूर्ण, समीक्षात्मक, सकारात्मक सोच, बेहतर ज्ञान, व्यक्तिगत संज्ञानात्मक विकास, दृष्टिकोण व कौशल निर्माण आदि के विकास में हमारे अनुभव एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अनुभव आधारित अधिगम स्थायी, व्यावहारिक और कभी न भूलने वाला होता है। यह रटने की आदत को समाप्त कर हमें व्यक्तिगत व सामूहिक रूप से सीखने, यथार्थ के प्रति समझ पैदा कर हमें भावी जीवन की चुनौतियों व समस्याओं का सामना करने के लिए तैयार करता है। अनुभव क्या होते हैं? अनुभव आधारित अधिगम क्या होता है? अनुभवों का अधिगम में क्या महत्व है? राष्ट्रीय शिक्षा नीतियाँ, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखाएँ किस प्रकार से अनुभवों के माध्यम से सीखने पर बल देती हैं? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी अनुभव आधारित अधिगम और क्रियान्वयन पर मज़बूती से बल क्यों दिया गया है? यह लेख इन सभी सरोकारों पर चर्चा करता है और शिक्षा जगत से जुड़े सभी सेवाकालीन अध्यापकों और सेवा-पूर्व अध्यापकों और विद्यार्थियों में अनुभव आधारित अधिगम की महत्ता के प्रति जागरूकता लाने का प्रयास करता है। जिससे वे विद्यालय स्तर पर पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम और कक्षा में अपनाई जाने वाली शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया के दौरान अनुभव आधारित अधिगम को बढ़ावा दे सकें।

अनुभव का अर्थ होता है कि किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्य को देखकर व अपनी ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करते हुए स्वयं की ज्ञान व समझ विकसित करना। अनुभव जन्मजात प्राप्त नहीं होते अर्थात् संसार का कोई भी प्राणी अनुभव लेकर पैदा नहीं होता। वह अनुभव अपने आस-पास के सामाजिक व भौतिक परिवेश से अर्जित करता है और तब तक अर्जित करता रहता है जब तक वह जीवित रहता है। इस प्रकार अनुभव अर्जन की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। अनुभव कभी भी, कहीं पर भी अर्जित किए जा सकते हैं। यह प्रकृति, परिवेश, समाज, विद्यालय, मीडिया, परिवार, मित्र, पड़ोसी, किताबों आदि से लेकर कभी भी और किसी भी स्थान पर अर्जित किए जा सकते हैं अर्थात् अनुभव अर्जन की कोई गति, समय सीमा व कोई स्थान पूर्व निर्धारित नहीं होता है। ये व्यक्ति के व्यक्तिगत गुणों व उसकी स्वयं की योग्यता पर निर्भर करते हैं।

जब हम किसी कार्य को प्रारंभ करते हैं, तब हमारे पास उसका पूर्व अनुभव हो भी सकता है या

**प्रवक्ता*, मंडलीय शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, (डी.आई.ई.टी. दक्षिण-पश्चिम), घुम्मनहेड़ा, नयी दिल्ली 110 073

नहीं भी। परंतु कार्य को लगातार करते रहने या उसके लगातार संपर्क में रहने से हम अनुभव प्राप्त करना प्रारंभ कर देते हैं और नए अनुभव अर्जित करते हैं। अर्जित अनुभवों का पुन: प्रयोग करते हुए, उसमें कुछ और नए अनुभवों को जोड़कर उनका विस्तार करते हैं। तत्पश्चात् उनका विश्लेषण व सुधार करते हुए उन्हें हम अपने व्यावहारिक जीवन में प्रयोग करते हैं, जैसे— विभिन्न व्यावहारिक जीवन कौशलों को सीखना, भाषा का औपचारिक या अनौपचारिक रूप बोलना, सीखना या फिर किसी हस्तकौशल आदि का सीखना। हमारे द्वारा अर्जित किए गए अनुभव कभी व्यर्थ नहीं जाते, ये अनुभव हमेशा नया ज्ञान सीखने व नए अनुभव अर्जित करने में हमारी मदद करते हैं।

पूर्व अनुभव नए अनुभव अर्जन में न केवल सहायक होते हैं, अपितु निर्णय लेने व कार्यनीति बनाने में भी मदद करते हैं, उदाहरण के लिए किसी विद्यार्थी द्वारा पूर्व परीक्षा के परिणामों के अनुभव के आधार पर आगामी परीक्षा की तैयारी की नीति या योजना बनाना। फिर भी, अनुभव अर्जन करना व्यक्ति की इच्छाशक्ति पर निर्भर करता है। अनुभव दो प्रकार के हो सकते हैं— (1) व्यावहारिक अनुभव (2) कौशलात्मक अनुभव। इन अनुभवों को हम मुख्य रूप से दो प्रकार से सीख सकते हैं— पहला, अपने अनुभवों के द्वारा अर्थात् प्रायोगिक रूप से स्वयं कार्य करके व महसूस करके, जैसे— हस्तकला, तकनीकी कौशल आदि। दूसरा, व्यक्तियों के द्वारा साझा किए गए अनुभवों के द्वारा, जैसे— अनुभवी व्यक्तियों द्वारा साझा किए गए अनुभवों के द्वारा। इसके अलावा भी हम अनुभव प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, औपचारिक और अनौपचारिक रूप से अर्जित कर सकते हैं।

अधिगम

अधिगम, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अधिगम का अर्थ होता है— सीखना अर्थात् इस प्रकार से सीखना की व्यवहार में परिवर्तन आए। अधिगम के द्वारा हमारे व्यवहार में दो प्रकार के परिवर्तन हो सकते हैं— (1) सकारात्मक और (2) नकारात्मक। परंतु अधिगम के अंतर्गत हम हमेशा सकारात्मक परिवर्तन की अपेक्षा करते हैं और इस बात की अपेक्षा भी करते हैं कि यह परिवर्तन स्थायी न होकर समय, परिस्थिति और परिपक्वता के अनुसार परिवर्तनशील एवं विकासशील हों। अनुभव की ही भाँति अधिगम भी कहीं पर और किसी से भी किया जा सकता है, जैसे— मकड़ी के द्वारा बनाए गए जाल या बया पक्षी के द्वारा बनाए गए घौंसले से यह सीखा जा सकता है कि कड़ी मेहनत व लगन से कुछ भी करना मुमकिन है।

अनुभव आधारित अधिगम

अनुभव आधारित अधिगम दो शब्दों, अनुभव एवं अधिगम से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है, अनुभवों के माध्यम से समझ का निर्माण एवं प्रयोग करना सीखना। यह सार्वभौमिक सत्य है कि अनुभव अधिगम में हमारी सहायता करते हैं। अधिगम और अनुभव एक-दूसरे के पूरक हैं। किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं अपनी इंद्रियों के माध्यम से चाहे वह कार्य कर, प्रयोग कर, अवलोकन कर, देखकर, सूँघकर, चखकर, स्पर्श कर आदि से जो ज्ञान व कौशल अर्जित या प्राप्त किया जाता है, वह अनुभव आधारित अधिगम कहलाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारे पूर्व अनुभवों के आधार पर अर्जित दक्षताएँ या योग्यताएँ ही अनुभव आधारित अधिगम हैं। शिक्षा मनोवैज्ञानिकों के

अनुसार, अनुभवात्मक अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें ज्ञान अनुभव के परिवर्तन के माध्यम से सृजित किया जाता है। ज्ञान का परिणाम अनुभव को समझने और बदलने के संयोजन से होता है। अनुभव और अधिगम में बहुत सीधा व गहरा संबंध है। अधिगम भी अपने आप में एक ऐसा अनुभव है, जिसका प्रयोग करके कार्य में परिवर्तन या समायोजन किया जाता है। मनुष्य जीवन भर अपने अनुभवों से सीखता रहता है और अपने व्यवहार एवं कौशल में सुधार लाने का प्रयास करता रहता है।

अनुभव अर्जन और अधिगम पर व्यक्तिगत भिन्नता का प्रभाव पड़ता है। कोई व्यक्ति अपने अनुभवों से कितना सीखता है, यह उसकी स्वयं की व्यक्तिगत योग्यता, इच्छाशक्ति, परिपक्वता व सीखने के लिए मिलने वाले अवसरों व सीखने की गति आदि पर निर्भर करता है। हमारे पास जितने अधिक अनुभव होते हैं और जितना अधिक हम उनका प्रयोग अपने व्यावहारिक जीवन में करते हैं, उतना ही अधिक हम सीखते हैं और व्यावहारिक रूप से कुशल बनते हैं। इसलिए अनुभव की शिक्षा ग्रहण करने व उसका उपयोग करने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

प्राय: यह अपेक्षा की जाती है कि अधिक आयु वाला व्यक्ति अधिक अनुभवी होगा, परंतु वास्तव में यह आवश्यक नहीं है। अनुभव और अधिगम पर आयु का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कम आयु वाला व्यक्ति किसी विशेष क्षेत्र में अधिक अनुभवी हो सकता है और यह भी हो सकता है कि अधिक आयु वाला व्यक्ति उस क्षेत्र में उतना अनुभवी न हो। छोटी आयु वाले बच्चे भी कई चीज़ों में बड़े व्यक्तियों से ज़्यादा अनुभवी होते हैं, जैसे— तकनीकी ज्ञान एवं कौशल में हमारी युवा पीढ़ी पुरानी पीढ़ी से ज़्यादा अनुभवी है। कोई व्यक्ति कितना अनुभवी है यह उस व्यक्ति के अनुभव अर्जित करने की इच्छाशक्ति या उसे मिलने वाले अवसरों पर निर्भर करता है। किसी व्यक्ति के शैक्षिक प्रमाण-पत्रों के आधार पर भी यह नहीं कहा जा सकता है कि वह व्यक्ति ज़्यादा अनुभवी है। कम शिक्षित व्यक्ति भी ज़्यादा अनुभवी हो सकता है, उदाहरण के लिए, एक कृषि विशेषज्ञ एक किसान से कम अनुभवी हो सकता है, क्योंकि किसान मूल रूप से कृषि से जुड़ा हुआ है। ऐसे अनेक उदाहरण हम जीवन के व्यावहारिक अनुभवों के संदर्भ में भी देख सकते हैं।

अनुभव आधारित अधिगम की विशेषताएँ एवं महत्व

- अनुभव आधारित अधिगम हमें तीन 'अ'— आत्मविश्वास, आत्मसम्मान एवं आत्मनिर्भरता को विकसित करने में मदद करता है।
- अनुभव आधारित अधिगम वह 'जीवन शिक्षा' है, जो जीवन से प्राप्त होती है और जीवन के लिए होती है। यह बेहतर दृष्टिकोण का विकास कर जीवन कौशल विकसित करने में हमारी मदद करता है।
- अनुभव आधारित अधिगम का ग्राफ़ कभी ऋणात्मक नहीं होता है, इसकी गति धीमी हो सकती है, परंतु यह हमेशा ऊपर की दिशा की ओर अग्रसर होता रहता है। हमारे अनुभव कभी व्यर्थ नहीं जाते हैं, इनमें सीखने व सिखाने का गुण हमेशा समाहित रहता है।
- अनुभव आधारित अधिगम वास्तविक व्यावहारिक ज्ञान व कौशल अर्जन करने एवं उसका प्रयोग करना सिखाने की एक प्रक्रिया है।

- अनुभव आधारित अधिगम स्वतंत्र चिंतन, सीखने, परखने, सुधार एवं विकास का समर्थन करता है और रचनावादी विधियों को बढ़ावा देता है।
- अनुभव आधारित अधिगम गलतियों के आकलन से सीखने को प्रेरित करता है अर्थात् हमारे द्वारा की गई गलतियाँ ही हमारे अनुभव बनकर निर्णय लेने व सिखाने का काम करती हैं। इसलिए यह कहा जाता है कि मनुष्य हमेशा अपनी पूर्व गलतियों (अनुभवों) से ही सीखता है।
- अनुभव आधारित अधिगम मनोवैज्ञानिक होने के साथ-साथ रुचिकर, प्रभावी, व्यावहारिक एवं दैनिक जीवन के लिए बहुत उपयोगी है।
- अनुभव आधारित अधिगम से हमारी मानसिक, सामाजिक, नैतिक व भावनात्मक परिपक्वता बढ़ती है।
- अनुभव द्वारा सीखा गया ज्ञान भविष्य की नींव होते हैं। इस प्रकार अनुभव हमें भविष्य में निर्णय लेने में सहायता करते हैं।
- अनुभव स्थिर नहीं होते, ये लचीले एवं प्रगतिशील होते हैं। इसलिए अनुभव आधारित अधिगम लचीला होता है और उसमें समायोजन की पूरी संभावनाएँ होती हैं।
- अनुभव आधारित अधिगम समस्या-समाधान व चुनौतियों का सामना करने का एक महत्वपूर्ण उपकरण हैं।
- अनुभव आधारित अधिगम औपचारिक, अनौपचारिक, औपचारिकेत्तर, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूपों में किया जा सकता है।
- विभिन्न घटनाएँ, कहानियाँ, पाठ्यपुस्तक की विषय-वस्तु, व्यवहार अवलोकन, परिवार एवं साथी, समाज व अपने आस-पास का परिवेश आदि अनुभव आधारित अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं।
- पुरानी एवं अन्य व्यक्तियों की बातों या घटनाओं को पुन:स्मरण करके व उनका समीक्षात्मक अध्ययन करके भी अनुभव प्राप्त कर सकते हैं।
- पुराने अनुभव नए अनुभवों को प्राप्त करने में मदद करते हैं। इस प्रकार से किया गया अधिगम सकारात्मक अनुभव आधारित अधिगम हस्तांतरण कहलाता है।
- अनुभव आधारित अधिगम का क्षेत्र व्यापक है। विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े होने के कारण यह कई प्रकार का हो सकता है, जैसे— शैक्षिक, सामाजिक, भावनात्मक, व्यवहारात्मक, कार्यात्मक, कलात्मक, कौशल, तकनीकी, व्यक्तिगत, सामूहिक अनुभव आधारित अधिगम आदि। यह सभी विषयों और सभी क्षेत्रों में किया जा सकता है तथा इसी प्रकार से विभिन्न क्षेत्रों में इनकी उपयोगिता एवं आवश्यकता के अनुसार इनका प्रयोग भी किया जा सकता है।
- यह सर्वमान्य सत्य है कि अपने अनुभवों द्वारा सीखा गया ज्ञान टिकाऊ होता है, परंतु यह भी सत्य है कि इस प्रकार से सीखने में समय और श्रम अधिक लगता है। इसके विपरीत दूसरे के अनुभवों का प्रयोग करते हुए सीखना आसान होता है और इससे समय व श्रम की बचत भी होती है। परंतु इस प्रकार का सीखना तकनीकी, कला, हस्त कौशल और गणित एवं विज्ञान जैसे विषयों पर बहुत लागू नहीं होता है। वैचारिक अनुभवों के क्षेत्र में हम दूसरों के द्वारा साझा किए गए अनुभवों से सीख सकते हैं, परंतु जब कौशलों के सीखने और करके सीखने की बात हो तो उस क्षेत्र में हमें अपने स्वयं के अनुभवों का प्रयोग करना होगा।

अनुभव आधारित अधिगम के माध्यम से विद्यार्थियों को व्यवहारात्मक व कौशलात्मक रूप से कुशल बनाकर उनके भविष्य को न केवल सुधारा जा सकता है, बल्कि शिक्षा की मज़बूत नींव रखी जा सकती है। इस बात को गाँधीजी ने स्वीकार करते हुए बुनियादी शिक्षा (1937) जिसे वर्धा योजना, नयी तालीम, बुनियादी शिक्षा तथा बेसिक शिक्षा के नाम से भी जाना जाता है, के माध्यम से अनुभव आधारित अधिगम पर विद्यालयों में शिक्षा देने की सिफ़ारिश की थी। इसके साथ ही, राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखाओं के द्वारा भी अनुभवात्मक अधिगम द्वारा शिक्षा प्रदान करने पर बल दिया गया है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020

राष्ट्रीय शिक्षा नीति शैक्षिक क्षेत्र में शिक्षा से जुड़े विभिन्न शैक्षिक सिद्धांतों, सरकार की शैक्षिक नीतियों, शैक्षिक कानूनों और नियमों आदि का एक ऐसा विस्तृत संग्रह है, जो शिक्षा प्रणाली के विभिन्न स्तरों (पूर्व प्राथमिक से उच्च शिक्षा) पर संचालन के लिए व्यापक रूप से तैयार की जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य वर्तमान व भावी समाज की आवश्यकता के अनुसार शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन कर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की समुचित व्यवस्था करना होता है। अब तक हमारे देश में तीन राष्ट्रीय शिक्षा नीतियाँ बनाई गई हैं। पहली 1968, दूसरी 1986 और तीसरी 2020 में बनाई गई। *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* लगभग 34 वर्ष बाद बनी। इन सभी शिक्षा नीतियों की अपनी-अपनी विशेषता रही है। परंतु इन सब नीतियों का प्रमुख ध्येय विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर बल देना और एक ऐसी शिक्षा प्रणाली की व्यवस्था करने का प्रयास करना है, जो विद्यार्थियों को वास्तविक अनुभव प्रदान करते हुए उनमें समझ विकसित करे।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1968 में विद्यार्थियों को स्वयं कार्य करके वास्तविक अनुभव प्रदान कराने के लिए कार्यानुभव को शिक्षा के साथ एकीकृत करने पर ज़ोर दिया गया और वहीं *राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986* में विद्यार्थियों को अनुभवों के द्वारा सीखने के लिए प्रेरित करने हेतु सामाजिक उपयोगिता उत्पादक कार्य (एस.यू.पी.डब्ल्यू.) और कार्यानुभव विषयों को पाठ्यचर्या में शामिल करने का सुझाव देकर इसे लागू भी किया गया।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बिंदु 4.6 और 4.7 में अनुभव आधारित अधिगम विषय को गंभीर और महत्वपूर्ण मानते हुए इसे बढ़ावा देने के लिए प्रयोग आधारित अधिगम को अपनाने की अनुशंसा करते हुए विद्यार्थियों को करके सीखने के अवसर प्रदान करने पर बल दिया गया है। इसे जीवंत व वास्तविक रूप देने के लिए कला, खेल-खिलौनों आदि द्वारा समेकित शिक्षणशास्त्र के माध्यम से राष्ट्रीय पाठ्यचर्या में शामिल करने पर बल दिया गया है ताकि वांछनीय अधिगम प्रतिफल प्राप्त किए जा सकें।

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखाएँ

'राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखाएँ' पाठ्यक्रम और विभिन्न प्रकार के शैक्षिक अनुभव प्रदान करने वाली विभिन्न क्रियाओं की एक योजना है। जो शिक्षार्थियों के सर्वांगीण (सामाजिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक, क्रियात्मक, नैतिक आदि) विकास पर केंद्रित होती हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के निर्माण में शिक्षा एवं समाज से जुड़े अनुभवों एवं जानकारियों का समावेश किया जाता है, जो देश व बच्चों के वर्तमान व भावी विकास के लिए ज़रूरी हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों का विद्यालयी शिक्षा में क्रियान्वयन करने के लिए हमारे देश में अब तक चार राष्ट्रीय

पाठ्यचर्या की रूपरेखाएँ विकसित की जा चुकी हैं। पहली राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा वर्ष 1975, दूसरी वर्ष 1988, तीसरी वर्ष 2000 और चौथी वर्ष 2005 में विकसित की गई थी। इन सभी में अनुभव आधारित अधिगम, शैक्षिक गतिविधियों और कार्यानुभव को शामिल किया गया। *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* में भी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा वर्ष 2021 में बनाने का प्रस्ताव किया गया है और बिंदु 4.6 और 4.7 को ध्यान में रखते हुए पाठ्यचर्या की रूपरेखा का निर्माण करने पर बल दिया गया है।

गाँधीजी की बुनियादी शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखाओं का विश्लेषण करने पर हम पाते हैं कि इन सबका मुख्य ध्येय विद्यार्थियों को कला, हस्तकला कौशलों आदि विषयों के माध्यम से प्रायोगिक अनुभव व कौशलात्मक अनुभव प्रदान करने के साथ-साथ विद्यार्थियों को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाना है।

अनुभव-आधारित अधिगम हेतु सुझाव

विद्यालय स्तर पर

- पाठ्यचर्या, अधिगम आधारित अनुभवों से जुड़े क्रियाकलापों का एक पूर्व नियोजन है जिसके द्वारा हम विद्यार्थियों में सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, नैतिक व व्यावहारिक अनुभवों आदि के माध्यम से विभिन्न प्रकार के कौशलों, व्यावहारिक ज्ञान व दृष्टिकोणों आदि का विकास कर सकते हैं। पाठ्यचर्या का उद्देश्य विद्यार्थी को एक सुदृढ़, स्पष्ट और प्रभावी अधिगम अनुभव प्रदान करना होता है। जो उनके दैनिक जीवन व भविष्य में काम आए इसलिए विद्यालयी स्तर पर पाठ्यचर्या के अंतर्गत अधिगम अनुभवों के विभिन्न पहलुओं एवं आयामों, करके सीखने आदि को उनके प्रतिफलों सहित विभिन्न वास्तविक रूपों में शामिल कर उन्हें ज़मीनी स्तर पर क्रियान्वित करने की आवश्यकता है। ताकि शिक्षा को न केवल जीवंत बनाया जा सके, बल्कि विद्यार्थियों को अनुभव प्राप्त करना सिखाया जा सके।
- पाठ्यपुस्तक व पाठ्यवस्तु अनुभव प्रदान करने की एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में और अधिक सहायक हो सकती है। पाठ्यपुस्तक, पाठ्यवस्तु का एक व्यवस्थित भंडार है। पाठ्यपुस्तक में दी गई पाठ्यवस्तु कक्षा के अंदर व बाहर दोनों जगह अध्यापक और विद्यार्थी को अधिगम के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती है। पाठ्यवस्तु की रचना करते समय उसमें इस प्रकार की विषय सामग्री शामिल करनी होगी, जिससे विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष अनुभव की प्राप्ति के साथ-साथ अनुभव अर्जित करने के समुचित अवसर मिलें, जैसे— विभिन्न प्रकार की घटनाओं, कहानियों व जीवनियों आदि को शामिल करने के साथ-साथ विद्यार्थियों के विभिन्न क्षेत्रों में प्राप्त अनुभवों को भी शामिल किया जाए।
- अनुभव आधारित अधिगम का प्रयोग सामाजिक विज्ञान विषय विशेषकर इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र आदि जैसे विषयों के अधिगम के लिए सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों में विभिन्न प्रकार की सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, ऐतिहासिक व समसामयिक घटनाओं का वर्णन, कहानी व घटना आदि के माध्यम से किया जाना चाहिए। आर्थिक क्रियाओं के लिए, ऐतिहासिक विरासत

के महत्व व संरक्षण के बारे में सीखने के लिए विद्यार्थियों को क्षेत्र भ्रमण (फ़ील्ड विज़िट) पर ले जाना चाहिए और इसी प्रकार के प्रयास अन्य विषयों में भी किए जाने चाहिए।

- पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम या पाठ्यपुस्तक में दी गई विषय सामग्री को पढ़ाते समय अध्यापक स्वयं के शैक्षिक अनुभवों व अपने जीवन के संघर्षों को भी शामिल कर सकते हैं। अध्यापकों के पास शिक्षा से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों के अनुभव होते हैं। वे अपने अनुभवों के माध्यम से विद्यार्थियों की करियर काउंसलिंग व मार्गदर्शन भी कर सकते हैं।
- अभिभावकों के विशेष अनुभवों को भी शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में शामिल कर विद्यार्थियों को विभिन्न क्षेत्रों के अनुभवों से परिचित किया जा सकता है। विद्यार्थियों में यह जिज्ञासा उत्पन्न करनी होगी कि वे अपने माता-पिता के जीवन के संघर्षों को जानें व तदनुभुति करते हुए उनके वास्तविक व विभिन्न क्षेत्रों में प्राप्त अनुभवों से शिक्षा ग्रहण करें।
- पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने व रचनात्मक शिक्षण-अधिगम विधियों के प्रयोग की सही जानकारी के अभाव में शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया के दौरान हमारे अध्यापकों के द्वारा व्याख्यान या सैद्धांतिक अथवा पारंपरिक विधि का प्रयोग अधिक किया जाता है, जो अनुभव प्रदान करने में कम सहायक होती है जबकि प्रोजेक्ट विधि, क्रियात्मक विधि, खेल विधि, क्षेत्र भ्रमण व समस्या-समाधान विधि आदि में अधिक अनुभव प्राप्त करने के अवसर मिलते हैं। समस्या-समाधान विधि द्वारा विद्यार्थियों के समक्ष विभिन्न प्रकार की समस्याएँ रखकर उन्हें वास्तविक अनुभव प्रदान करना सबसे सटीक एवं महत्वपूर्ण विधि है। यह विधि अन्य विधियों, जैसे— खोजपूर्ण, करके सीखना आदि को अपने आप में समाहित किए हुए है। इसलिए विद्यालयी स्तर पर हमारे अध्यापकों को विभिन्न प्रकार की अनुभव आधारित शिक्षण-अधिगम विधियों व सृजनात्मक उपागमों को कक्षा में प्रयोग करने के लिए प्रेरित व जागरूक करने की आवश्यकता है। साथ ही, उन्हें विभिन्न प्रकार की शिक्षण-अधिगम विधियों के प्रति समझ व उनका प्रयोग करना, सिखाने की भी आवश्यकता है।
- शिक्षण-अधिगम सामग्री के माध्यम से विद्यार्थियों को न केवल प्रत्यक्ष व वास्तविक अनुभव प्रदान कर सकते हैं, बल्कि उनकी भ्रांतियों को दूर कर उनके विचारों में अधिक स्पष्टता ला सकते हैं। प्राय: यह देखा गया है कि विद्यालयी स्तर पर कक्षा में शिक्षण-अधिगम सामग्री का प्रयोग कम किया जाता है। इसलिए अनुभव आधारित विभिन्न प्रकार की शिक्षण-अधिगम विधियों और शिक्षण-अधिगम सामग्री के व्यावहारिक प्रयोग पर बल देना होगा।
- विद्यालय या कक्षा के अंदर व बाहर विद्यार्थियों को वास्तविक या उसी प्रकार का कृत्रिम अर्थात् बनावटी वातावरण, सुविधाएँ या परिस्थितियाँ प्रदान करनी होंगी, जिसमें विद्यार्थी अभ्यास करते हुए विभिन्न प्रकार के अनुभवों को सीख सकें।
- शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थियों की भागीदारी को बढ़ाने के लिए सकारात्मक लोकतांत्रिक वातावरण तैयार करना होगा व उन्हें अपने अनुभव साझा करने के अवसर देने

होंगे। कक्षा के अंदर व बाहर विद्यार्थियों के विचारों को महत्ता देने के साथ-साथ उनका सम्मान भी करना होगा।

अध्यापक शिक्षा संस्थान स्तर पर

- अध्यापक शिक्षा में अनुभव आधारित अधिगम पर विशेष रूप से बल दिया जाए और यदि संभव हो तो इसे पाठ्यचर्या में एक अलग विषय के रूप में या उसके एक अंग के रूप में शामिल किया जाए। इसके अलावा इसमें निम्न बिंदुओं को विस्तार से शामिल किया जाए, जैसे—
  - (i) अनुभव आधारित अधिगम क्या हैं?
  - (ii) अनुभव आधारित अधिगम की प्रकृति क्या है?
  - (iii) अनुभव आधारित अधिगम की क्या महत्ता है?
  - (iv) यह प्रयोगात्मक अनुभव से कैसे भिन्न है?
  - (v) व्यवहारात्मक व कौशलात्मक अनुभव में क्या अंतर हैं?
  - (vi) अनुभव कैसे और कहाँ से प्राप्त किए जा सकते हैं?
  - (vii) अनुभव कितने प्रकार के हो सकते हैं?
  - (viii) अनुभव प्राप्त कराने के लिए कौन कौन-सी शिक्षण विधियाँ उपयुक्त हो सकती हैं? और कैसे?
  - (ix) अनुभव आधारित अधिगम सभी स्तर पर (पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक, तथा उच्च स्तर) या किस स्तर पर ज़्यादा उपयोगी हो सकता है? और क्यों?
  - (x) इसे कला एवं तकनीकी विषयों के साथ-साथ सभी विषयों के लिए और अधिक उपयोगी कैसे बनाया जा सकता है?
  - (xi) एक अध्यापक, विद्यार्थी और समाज के लिए इसकी उपयोगिता क्या है? आदि।
- अनुभव आधारित अधिगम पर विस्तृत रूप से न केवल अध्यापक शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए, बल्कि कार्यशालाओं का आयोजन कर इसकी महत्ता को व्यावहारिक रूप से समझाया जाना चाहिए। ताकि विद्यार्थी-अध्यापक इस प्रकार के अधिगम से न केवल स्वयं के ज्ञान का सृजन करें, बल्कि उचित रोज़गार प्राप्त करने के उपरांत विद्यालय में भी विद्यार्थियों को स्वयं अनुभव आधारित अधिगम द्वारा ज्ञान सृजन का अवसर प्रदान कर सकें।
- शिक्षण-अधिगम सामग्री के अंतर्गत प्राकृतिक एवं भौतिक संसाधन होते हैं, जो वास्तविक शिक्षण-अधिगम अनुभव प्रदान करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इसलिए अध्यापक शिक्षा के दौरान विद्यार्थी-अध्यापकों को शिक्षण-अधिगम सामग्री के निर्माण, उसके प्रयोग एवं उसकी उपयोगिता सिखाने पर विशेष ध्यान देना होगा ताकि उन्हें उचित रोज़गार प्राप्त होने के पश्चात् वे विद्यालयों में इनका प्रयोग करते हुए विद्यार्थियों को अनुभवों के माध्यम से अधिगम कराने में सकारात्मक भूमिका निभा सकें।
- अध्यापक शिक्षा संस्थानों को विद्यार्थी-अध्यापकों को विभिन्न प्रकार के अनुभव प्रदान कराने वाली शिक्षण-अधिगम विधियों का प्रयोग कर वास्तविक अनुभव प्रदान करना होगा। अध्यापक शिक्षा प्रक्रिया के दौरान शिक्षण-अधिगम सामग्री के निर्माण, उसके प्रयोग एवं उसकी उपयोगिता पर विशेष बल देना होगा।
- अनुभव आधारित अधिगम पर विस्तृत रूप से अध्यापक शिक्षा की व्यवस्था करना और

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में अनुमोदित अनुभव आधारित अधिगम विधि, करके सीखने व अन्य विद्यार्थी-केंद्रित विधियों के लिए किए गए अन्य प्रावधानों, जैसे— कला एकीकृत, खेल एकीकृत, खिलौना आधारित शिक्षण, कहानी आधारित शिक्षणशास्त्र के प्रशिक्षण पर विशेष रूप से बल देना आदि।

निष्कर्ष

इस बात में कोई संदेह नहीं है कि हमारे विद्यार्थियों को विषयों का सैद्धांतिक व तथ्यात्मक ज्ञान होना चाहिए, परंतु वह ज्ञान रटकर या रटाकर प्रदान किया जाए तो विद्यार्थी वह जीवन ज्ञान व्यावहारिक जीवन में नहीं कर पाएँगे। इसलिए विद्यार्थियों को पूर्व-प्राथमिक स्तर से ही अनुभव आधारित ज्ञान प्रदान किया जाना चाहिए। *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005* में इस बात पर विशेष रूप से बल दिया गया कि विद्यार्थी अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करें। उसे सीखने और स्वयं प्रयोग करने के पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाएँ ताकि वह स्वयं तथ्यों को खोजें, स्वयं उसका प्रयोग करें और अपने अनुभवों के आधार पर निष्कर्ष निकालें तथा एक नए ज्ञान की खोज कर स्वावलम्बी बनें। *राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020* में भी इस ओर संकेत करते हुए इस बात की अनुशंसा की गई है कि विद्यार्थियों को वास्तविक, व्यवहारात्मक और कौशलात्मक अनुभव प्रदान करने और उनके प्रति समझ पैदा करने के लिए सटीक रणनीति बनाने की आवश्यकता है।

संदर्भ

शिक्षा मंत्रालय. 1968. *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968*. भारत सरकार, नयी दिल्ली.

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्. 2006. *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005*. रा.शै.अ.प्र.प., नयी दिल्ली.

मानव संसाधन विकास मंत्रालय. 2020. *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020*. भारत सरकार, नयी दिल्ली.